भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1978

क्र. एफ-73-61-76-एच-8-बीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1978 कहलायेंगे.

(2) ये नियम 1 जनवरी 1974 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ख) "आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी" से अभिप्रेत है ऐसे कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए जो कि वर्ष में कतिपय कलावधियों के लिये ही नियुक्त किये जाते है, किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्णकाल के लिये नियुक्त व्यक्ति और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन "कार्यलय आकस्मिकताएं" पर प्रभारित किया जाता है;

(ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है आकस्मिकता से वेतन पाने वाला कर्मचारी;

(क) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य का शासन;

(घ-एक.) "अनुसूचित जाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जाति मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह का, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(घ्दो) : "अनुसूचित जनजाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह का जो कि भारत के, संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(ङ) "राज्य शासन के अधीन नियमित कर्मचारियों" से अभिप्रेत है ऐसे शासकीय कर्मचारी जो नियमित नियोजन में है और जो राज्य शासन के अधीन ऐसे स्थाई या अस्थाई पद धारण कर रहे हों, जो आकस्मिकता से वेतन पाने वाले पदों से भिन्न हों;

(च) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति:—इन नियमों में अन्यथा उपबंधित किये गये के सिवाय मध्यप्रदेश सेवा की सामान्य शर्तें नियम, 1961 इस सेवा के सदस्यों को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन:—सेवा में निम्नलिखित व्यकित होंगे:—

(1) वे व्यकित जो 1 जनवरी 1974 को आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रूप में कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुकेहों और जो उस दिनांक को अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद धारणकर रहे थे और जिन्होंने उस दिनांक को अधिवार्षिकी की वह आयु पूरी न कर ली हो जो कि राज्य शासन के अधीन नियमित नियोजन में समतुल्य वर्ग के पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिये विहित है.

(2) वे व्यकित.

(क) जो 1 जनवरी 1973 के पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों.

(ख) जो इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात्, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों, पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर.

5. वर्गीकरण पदसंख्या आदि.—सेवा का वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संलया अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

6. प्रवर्गीकरण.— आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी इन नियमों के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित दो प्रवर्गों में विभाजित :कये जायेंगे:—

(एक) स्थायी, तथा
(दो) अस्थाथी.

(2) वह कर्मचारी:—

(क) जिसने 1 जनवरी 1974 को ऐसी सेवा पूरी कर ली हो जो पन्द्रह वर्ष से कम न हो;

(ख) जो उक्त तारीख से पूर्व नियुक्त किया गया हो किन्तु जिसने 1 जनबरी 1974 को पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी;

(ग) जो उक्त तारीख के पश्चात् नियुक्त किया गया हो,

उपरोक्त (क) की स्थिति में 1 जनवरी 1974 और (ख) तथा (ग) की स्थिति में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी होनें पर स्थाई आक स्मक से वेतन पाने वाले कर्मचारी की प्रास्थिति के लिये पात्र होगा.

7. भरती तथा पदोन्नति.—(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थापना, भरती ज्येष्ठता तथा पदोन्नति को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रयोजनों के लिये एक इकाई गठित करेगी.

(2) आकमिस्कता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तारीकों में से किसी एक या ऐसे अधिक तारीखों से, जो कि विहित किये जायें, की जायगी, अर्थात्:—

(एक) सीधी भरती द्वारा;

(दो) पदोन्नति द्वारा;

(तीन) स्थानान्तरण द्वारा .

(2-क-) प्रत्येक जिलों में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) .....द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी .....सभापति.

(ख) यथा स्थिति, जिला जनजाति कल्याण अधिकारी या जिला संगठक, जनजाति कल्याण .....सदस्य;

(ग) संबंधित जिले का रोजगार अधिकारी .....सदस्य .

(2-ख) सेवा के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति उपनियम (2-क) के अधीन गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायेगी.

(2-ग) इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार उपबन्धित के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी.

(2-घ) सेवा के अधीन पदों में सीधी भरती संबंधित स्थापना द्वारा इस प्रयोजन के लिये मांग किये जाने पर रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में से की जावेगी और जहां रोजगार कार्यालय में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो वहां भरती विज्ञापन के जरिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के पश्चात् की जायेगी.

(2-ङ) पदों को भरने के लिये शैक्षणिक अर्हताएं ऐसी होंगी जो कि तत्स्थानी पदों पर राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों के लिये विहित है. जहां तत्स्थामी पद न हों वहां अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जायेगी.

(2-च) जहां प्रशिक्षण के संबंध में अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध न हों वहां अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की भरती इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए की जा सकेगी कि ये संबंधित स्थापना द्वारा इस संबंध में उपबंधित किये जाने, प्रशिक्षण के लिये अवसर का लाभ उठाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं को अर्हित कर लें.

(3) पदोन्नति, ज्येष्ठता व योग्यता के आधार पर की जायगी.

8. प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों की आयु, उनकी शारीरिक योग्यता तथा अधिवार्षिकी की आयु.—भरती तथा अधिवार्षिकी के लिये आयु तथा शारीरिक योग्यता के विषय में, सेवा में प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों को वे नियम तथा नीतियां लागू होंगी जो कि नियमित नियोजन में के समतुल्य प्रवर्गों के शासकीय सेवकों को लागू हैं.

9. ज्येष्ठता सूची.—पदोन्नति के साथ ही साथ छटनी के प्रयोजनों के लिये, प्रत्येक प्रवर्ग की ज्येष्ठता सूची प्रत्येक इकाई में या संपूर्ण राज्य के आधार पर, जैसा कि शासन द्वारा विनिश्चय किया जाय, बनाये रखी जायेगी. जब कोई कर्मचारी, शासकीय कार्य के हित में एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरित किया जाय, तो यथास्थिति, पदोन्नति या छटनी के विषय में, मूल इकाई में उसकी ज्येष्ठता पर ध्यान दिया जायगा.

10. सेवा अभिलेख.—स्थायी या अस्थाई कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख, प्रत्येक इकाई स्तर पर सम्यक् रूप से सत्यापित किये जाकर उस प्रारूप में रखे जायेंगे जिसमें शासन के अराजपत्रित कर्मचारी वृन्द के सेवा अभिलेख रखे जाते हैं.

11. सेवामुक्ति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र.—उस मामले में जब कोई कर्मचारी छटनी के परिणामस्वरूप या अन्यथा सेवा छोड़ दे तो उसे, मांग की जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रारूप में दिया जा सकेगा, अर्थात्:—

(1) नाम

(2) पिता का नाम/पति का नाम.

(3) पहचान का चिन्ह (यदि कोई हो).

(4) .....से.....तक कुल सेवा—

(5) सेवा छोड़ते समय धारित नियुक्ति.

(6) वेतनमान की दर (यदि कोई हो).

(7) सेवा छोड़ने का कारण.

.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

.....

नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा तथा पदाभिधान.

12. आचरण.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबन्ध सेवा के सदस्यों को लागू होंगे. परन्तु यह कि "कदाचार" में, कर्मचारी की ओर से किये गये निम्नलिखित कार्य तथा लोप भी सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) शासन के कारबार या संपत्ति के संबंध में चोरी, कपट या बेईमानी.

(ख) किसी वरिष्ठ के विधिपूर्ण या युक्ति युक्त आदेश की जानबूझकर अनाधीनता या अवज्ञा, चाहे वह अकेले द्वारा या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर की गई हो.

(ग) शासकीय माल या संपत्ति का जानबूझकर नुकसान या हानि.

(घ) रिश्वत या अवैध परितोषण लेना या देना.

(ङ) बिना अवकाश के आभ्यासिक अनुपस्थिति या बिना अवकाश के दस दिन से अधिक की अनुपस्थिति.

(च) आभ्यासिक विलम्ब से उपस्थिति.

(छ) स्थापना या विभाग को लागू किसी विधि का आभ्यासिक भंग.

(ज) स्थापना या विभाग में कार्य-घंटों के दौरान कलात्मक या बिच्छुखल आवरण या ऐसा कोई कार्य जिससे अनुशासन भंग होता है.

(झ) आभ्यासिक उपेक्षा या कार्य की उपेक्षा जिसके अन्तर्गत कार्य के घंटों के दौरान सोना आता है.

(ट) किसी कार्य की बार-बार पुनरावृत्ति या उसका लोप.

(ठ) कार्य का पालन करने में जानबूझकर गति धीमी करना.

(ड) स्थापना या विभाग की प्रक्रिया के संबंध में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी प्रकट करना जो कि कर्मचारी को उसके कार्य के अनुक्रम में प्राप्त हो.

(ढ) स्थापना या विभाग के परिसरों में जुआ तथा सट्टा खेलना.

(ण) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के या ऐसे नियम के जो विधि का प्रभाव रखता हो, उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये हड़ताल करना या अन्य व्यक्तियों को हड़ताल करने के लिये उद्दीप्त करना.

(त) कार्य के घंटों के दौरान मद्यपान करना या नशे की हालत में पाया जाना.

(थ) राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कोई कार्य करना.

13. शास्तियां.—किसी कर्मचारी पर, निम्नलिखित शास्तियां, अच्छे पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात्:—

(एक) परिनिन्दा.

(दो) जुर्माना, जो एक समय में एक दिन की उपलब्धियों से अधिक न हो.

(तीन) वेतन वृद्धियां या पदोन्नतियों का रोका जाना.

(चार) उपेक्षा से अथवा किसी विधि के भंग द्वारा शासन को उसके द्वारा पहुंचाई गई किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली.

(पांच) किसी एक समय में चौदह दिन से अनधिक कालावधि के लिये निलंबन (किसी मजदूरी के लिये हकदार हुए बिना).

(छः) निम्नतर पद या ग्रेड में अवनत किया जाना.

(सात) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी.

(आठ) सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि भावी नियोजन के लिये अनर्हता होगी.

14. शास्तियों, को अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया.—(1) नियम 13 के खण्ड (छः), (सात) तथा (आठ) में विनिर्दिष्ट की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश:—

(एक) कर्मचारी को, उसके विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव को तथा उन अभिकथनों को, जिनके कि आधार पर वह कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है, लिखित में सूचना, जब ऐसा करना संभव हो, देने,

(दो) कर्मचारी को, उसके विरुद्ध लगाये गये अभिकथनों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का यथा साध्य शीघ्र अवसर देने,

(तीन) ऐसे स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ही दिया जायगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु यह और कि :—

(1) किसी भी व्यक्ति को, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना सेवा से पदच्युत नहीं किया जायगा, और

(2) जहां विभागाध्यक्ष, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना आवश्यक समझे, वहां ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा.

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट लिखित आदेश कर्मचारी को परिदत्त किये जाने पर तत्काल प्रभावी होगा और कर्मचारी द्वारा उसका परिदान स्वीकार करने से इन्कार करने की दशा में, वह आदेश उस स्थापना के, जिसमें कि वह है, सूचनाफलक पर चिपका दिया जायगा और सूचना फलक पर उसके इस प्रकार चिपका दिये जाने से यही समझा जायगा कि वह आदेश उस पर तामील कर दिया गया है.

15. अपील.—(1) कोई भी कर्मचारी, नियम 13 के खण्ड (एक) तथा (दो) के अधीन अधिरोपित शास्ति को छोड़कर ऊपर दिये गये नियम 13 के अधीन उस पर अधिरोपित किसी भी शास्ति के विरुद्ध ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ अधिकारी को शास्ति अधिरोपित करने से एक माह के भीतर अपील कर सकेगा, ऐसे अपीली प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

"(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अपील अपीली प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत की जा सकेगी.

16. निर्वाचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायगा. जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

17. छूट.—इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं, शासन को ऐसी रीति में कार्यवाही करने की शक्ति को, जो उसे (शासन को) न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु मामले में किसी ऐसी रीति में कार्यवाही नहीं की जायगी जो कि उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी, विशेष सचिव.

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	नियुक्त प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, रायपुर.—			
1	वाटरमेन	3	चतुर्थ	प्राचार्य
2	फरीश	1	तदेव	तदेव
3	माली	2	तदेव	तदेव
4	चौकीदार	19	तदेव	तदेव
5	हीस्टल सर्वेन्ट	15	तदेव	तदेव
6	स्वीपर	9	तदेव	तदेव
7	मजदूर	25	तदेव	तदेव
8	गार्डन मजदूर	9	तदेव	तदेव
9	पम्प अटेन्डेन्ट	2	तदेव	तदेव
10	मारकर आफ स्पोर्ट	1	तदेव	तदेव
11	हम्माल	4	तदेव	तदेव
	शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, जबलपुर—			
1	चौकीदार	30	चतुर्थ	प्राचार्य
2	वेल्ट मेन	1	तदेव	तदेव
3	हैमरमेन	1	तदेव	तदेव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	ग्राउन्डसमेन	1	तदैव	तदैव
5	वाटरमेन	2	तदैव	तदैव
6	मजदूर	59	तदैव	तदैव
7	वार्डब्वाय	1	तदैव	तदैव
8	मार्डन मजदूर	7	तदैव	तदैव
9	बस क्लीनर	1	तदैव	तदैव
10	हम्माल	4	तदैव	तदैव
11	होस्टल सर्वेन्ट	19	तदैव	तदैव
12	स्वीपर	22	तदैव	तदैव
13	लेडी स्वीपर	5	तदैव	तदैव
	शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, उज्जैन:—			
1	मिनिअल्स	2	चतुर्थ	प्राचार्य
	शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, बिलासपुर:—			
1	चौकीदार	1	चतुर्थ	प्राचार्य
2	हम्माल	6	चतुर्थ	प्राचार्य
	शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, रीवा:—			
1	हम्माल	13	चतुर्थ	प्राचार्य
2	स्वीपर	2	तदैव	तदैव
3	होस्टल सर्वेन्ट	6	तदैव	तदैव
4	चौकीदार	2	तदैव	तदैव
5	माली	1	तदैव	तदैव
	शासकीय विविध शिल्प कला मन्दिर, दुर्ग:—			
1	थम्प परिचारक	1	चतुर्थ	प्राचार्य
2	चौकीदार	4	तदैव	तदैव
3	स्वीपर	2	तदैव	तदैव
4	मदतगार	2	तदैव	तदैव
5	कर्मशाला कुली	3	तदैव	तदैव
6	माली	1	तदैव	तदैव
7	वाटरमेन	1	तदैव	तदैव
8	हम्माल	1	तदैव	तदैव
	2. **शासकीय विविध शिल्प कला मंन्दिर, शहडोल :—**			
1	स्वीपर	1	चतुर्थ	प्राचार्य
2	चौकीदार	4	तदैव	तदैव
3	माली	2	तदैव	तदैव
4	मजदूर	9	तदैव	तदैव
	3. **शासकीय विविध शिल्प कला मन्दिर, भोपाल :—**			
1	स्वीपर	2	चतुर्थ	प्राचार्य
2	होस्टल बरोनो	1	तदैव	तदैव
3	होस्टल सर्वेन्ट	1	तदैव	तदैव
4	होस्टल कुक	1	तदैव	तदैव
5	चौकीदार	2	तदैव	तदैव
6	अनस्किल्ड लेबर	1	तदैव	तदैव

(1)	(3)	(3)	(4)	(5)
4.	शासकीय विविध शिल्प कला मन्दिर नौगांव:—			
1	चौकीदार	3	चतुर्थ	प्राचार्य
2	माली	1	तदेव	तदेव
3	स्वीपर	2	तदेव	तदेव
4	होस्टल सर्वेन्ट	5	तदेव	तदेव
5.	शासकीय विविध शिल्प कला मन्दिर, भोपाल :—			
1	मजदूर	17	चतुर्थ	प्राचार्य
6.	शासकीय विविध शिल्प कला मंदिर रायगढ़:—			
1	चौकीदार	3	चतुथ	प्राचार्य
2	वाटरमेन	2	तदेव	तदेव
3	माली	1	तदेव	तदेव
4	स्वीपर	2	तदेव	तदेव
5	गार्डन मजदूर	1	तदेव	तदेव
6	ग्राउड्स मैन	1	तदेव	तदेव
7	होस्टल सर्वेन्ट	2	तदेव	तदेव
8	कर्मशाला मजदूर	14	तदेव	तदेव
7.	शासकीय विविध शिल्प कला मंदिर, खण्डवा:—			
1	स्वीपर	4	चतुर्थ	प्राचार्य
2	चौकीदार	2	तदेव	तदेव
3	कुली	3	तदेव	तदेव
4	माली	1	तदेव	तदेव
5	वाटर मेन	1	तदेव	तदेव
6	होस्टल सर्वेन्ट	1	तदेव	तदेव
8.	शासकीय विविध शिल्प कला मंदिर, उज्जैन:—			
1	होस्टल सर्वेन्ट	2	चतुर्थ	प्राचार्य
2	वर्कशाप मजदूर	5	तदेव	तदेव
3	स्वीपर	1	तदेव	तदेव
4	चौकीदार	3	तदेव	तदेव
9.	शासकीय विविध शिल्प कला मंदिर, जबलपुर:—			
1	फ़र्राश	1	चतुर्थ	प्राचार्य
2	माली	1	तदेव	तदेव
3	ग्राउन्डस् मेन	1	तदेव	तदेव
4	वाटरमेन	2	तदेव	तदेव
5	स्वीपर	3	तदेव	तदेव
6	वर्कशाप मजदूर	5	तदेव	तदेव
7	चौकीदार	3	तदेव	तदेव
8	होस्टल सर्वेन्ट	2	तदेव	तदेव
10.	शासकीय विविध शिल्प कला मंदिर, छिंदवाड़ा:—			
1	चौकीदार	4	चतुर्थ	प्राचार्य
2	माली	1	तदेव	तदेव
3	स्वीपर	2	तदेव	तदेव
4	वाटरमेन	1	तदेव	तदेव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	शासकीय कला निकेतन जबलपुर:—			
1	वर्कशाप मजदूर	20	चतुर्थ	प्राचार्य
2	चौकीदार	4	तदेव	तदेव
3	स्वीपर	2	तदेव	तदेव
4	क्लीनर	1	तदेव	तदेव
5	बगीचा मजदूर	2	तदेव	तदेव
6	वाटरमेन	1	तदेव	तदेव
12.	शासकीय विविध शिल्प कला मन्दिर, जावरा:—			
1	वर्कशाप अटेन्डेन्ट	2	चतुर्थ	प्राचार्य
2	होस्टल सर्वेन्ट	1	तदेव	तदेव
3	स्वीपर	1	तदेव	तदेव
13.	शासकीय शिल्प कला मन्दिर, ग्वालियर:—			
1	चौकीदार	3	चतुर्थ	प्राचार्य
2	होस्टल सर्वेन्ट	4	तदेव	तदेव
3	माली	1	तदेव	तदेव
4	स्वीपर	1	तदेव	तदेव
5	वर्कशाप मजदूर	2	तदेव	तदेव
1.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, रायगढ़:—			
1	स्वीपर	1	चतुर्थ	अधीक्षक
2	चौकीदार	2	तदेव	तदेव
3	मजदूर	1	तदेव	तदेव
2.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, टीकमगढ़:—			
1	चौकीदार	1	चतुर्थ	अधीक्षक
2	स्वीपर	1	तदेव	तदेव
3	कुक	1	तदेव	तदेव
4	बरौनी	1	तदेव	तदेव
3.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, जबलपुर:—			
1	कर्मशाला मजदूर	3	चतुर्थ	अधीक्षक
2	चौकीदार	1	तदेव	तदेव
3	रसोईया	2	तदेव	तदेव
4	जमादार	2	तदेव	तदेव
4.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, छिन्दवाड़ा:—			
1	वर्कशाप मजदूर	1	चतुर्थ	अधीक्षक
5.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, खैरागढ़:—			
1	चौकीदार	1	चतुर्थ	अधीक्षक
2	कुक	1	तदेव	तदेव
6.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, सतना:—			
1	चौकीदार	1	चतुर्थ	अधीक्षक
2	स्वीपर	2	तदेव	तदेव
3	वर्कशाप मजदूर	1	तदेव	तदेव

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, शहडोल.		
1	चौकीदार	2 चतुर्थ	अधीक्षक
2	वर्कशाप मजदूर	1 तथैव	तथैव
8.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, पन्ना.		
1	कर्मशाला कुली	2 चतुर्थ	अधीक्षक
2	चौकीदार	2 तथैव	तथैव
3	स्वीपर	1 तथैव	तथैव
4	सहायक रसोईया	2 तथैव	तथैव
9	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, खण्डवा.		
1	स्वीपर	2 चतुर्थ	अधीक्षक
2	चौकीदार	2 तथैव	तथैव
3	वर्कशाप कुली	1 तथैव	तथैव
10.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला, रायपुर.		
1	जमादार	1 चतुर्थ	अधीक्षक
2	चौकीदार	2 तथैव	तथैव
3	वर्कशाप मजदूर	2 तथैव	तथैव
4	बरौनी	1 तथैव	तथैव
11.	शासकीय माध्यमिक तांत्रिक शाला ग्वालियर.		
1	भृत्य	2 चतुर्थ	अधीक्षक
2	कुक	1 तथैव	तथैव
3	वर्कशाप मजदूर	2 तथैव	तथैव
4	स्वीपर	1 तथैव	तथैव
1.	पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, बैतुल.		
1	चौकीदार	1 चतुर्थ	प्राचार्य
2	स्वीपर	1 तथैव	तथैव
2.	पूर्व व्यवसायिक केन्द्र, जशपुरनगर.		
1	चौकीदार	1 चतुर्थ	प्राचार्य
3.	पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र सीहोर.		
1	चौकीदार	1 चतुर्थ	प्राचार्य
4.	पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र अलीराजपुर.		
1	चौकीदार	1 चतुर्थ	प्राचार्य
5.	पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पन्नागर.		
1	चौकीदार	1 चतुर्थ	प्राचार्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. शासकीय ललित कला संस्थान, ग्वालियर.				
1	माली	1	चतुर्थ	प्राचार्य
2	मेष सर्वेन्ट	1	तदेव	तदेव
3	चौकीदार	1	तदेव	तदेव
4	स्वीपर	1	तदेव	तदेव
1. शिल्प शिक्षा मण्डल, भोपाल.				
1	स्वीपर	1	चतुर्थ	संचालक
2	फ़र्राश	3	तदेव	तदेव
3	चौकीदार	2	तदेव	तदेव
4	पानीवाला	1	तदेव	तदेव
1. संचालनालय तांत्रिक शिक्षा, भोपाल.				
1	पानीवाला	1	चतुर्थ	संचालक

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 1978

क्र. एफ़-73-61-76-एच-8-बीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1978 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी, विशेष सचिव.

Bhopal, the 23rd November 1978

No. F 73-61-76-H-8-XX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of Madhya Pradesh Education Department and (Technical Branch) contingency-paid employees, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Madhya Pardesh Education Department (Technical Branch) Contingency-paid Employees Recruitment and Conditions of Service Rules, 1978.

(ii) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 1974.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" means the any thority as specified in column (5) of the Schedule;

(b) "Contingency-paid Employee" means a person employed for full time in an office or establishment and who is paid on monthly basis and whose pay is charged to "Office Contingencies"; excluding the employees who are employed for certain periods only in the year;

(c) "Employees" means contigency-paid employee;

(d) "Government" means the Government of the State of Madhya Pradesh;

(d-i) "Member of Scheduled Caste" means a member of any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(d-ii) "Member of Scheduled Tribe" means a member of any tribe or tribal community or part of or group within tribe or Tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 343 of the Constitution of India;"

(e) "Regular" Employees under the State Government" means Government servants who are in regular employment holding permanent or temporary posts under the State Government as distinct from posts on the posts paid from Contingencies ;

(f) "Service" means the Madhya Pradesh Contingencies paid Employees Service ;

(g) "Schedule" means the Schedule Appended to these Rules.

3. **Scope and Application.**—Save as provided otherwise in these rules, Madhya Pradesh General Conditions of Services Rule, 1961 shall be applicable to the members of this service.

4. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following persons:—

(1) Persons who on 1-1-1974 had completed atleast one Year's service as contingency paid employees and who on that date were holding the posts specified in the schedule and who on that date had not completed the age of superannuation prescribed for employees holding comparable class of posts in the regular employment of the State Government.

"(2) **Persons recruited to the service.**—

(a) After 1st January 1973 but before the commencement of these rules ;

(b) After the commencement of these rules, according to the provisions of these rules on completion of Five years Service".

5. **Classification, number of Posts, etc.**—Classification, and the number of posts included in the service and the appointing authority therefor shall be in accordance with the provisions contained in the schedule.

6. **Categorization.**—(i) Contingency paid employees for the purposes of these rules shall be divided into the following two categories, namely :—

(i) Permanent; and

(ii) Temporary.

(2) The employee—

(a) who had completed not less than fifteen years of service on the 1st January 1974;

(b) appointed prior to the said date but had not completed fifteen years of service on the 1st January 1974 ;

(c) appointed after the said date; shall be in case of (a) above on the 1st January, 1974 and in case of (b) and (c) on completion of fifteen years of contineous service. be eligible for the status of permanent work charged or contingency paid employee.

7. **Recruitment and promotion.**—(1) The establishment under the appointing authority sepcified in the Schedule shall constitute a unit for all purposes including recruitment, seniority and promition.

(2) Appointment of the Contingency-paid employees shall be made by one or more of the following methods as may be prescribed, namely :—

(i) Direct recruitment ;

(ii) Promotion ;

(iii) Transfer.

"(2-A) there shall be constituted in every district a committee consisting of—

(a) A Gazetted Officer nominated by Chairman ;

(b) District Tribal Welfare Officer of District Organiser, Tribal Welfare, as the case may be .... member ;

(c) Employment Officer of the district concerned .... member

(2-B) Promotion to any post under the Service shall be made in accordance with the recommendations of the committee constituted under sub-rule (2-A).

(2-C) Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the members of Scheduled Castes and members of Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

(2-D) Direct recruitment to the posts under the service shall be made out of the list of candidates furnished by the Employment Exchange on being asked for by the establishment concerned for the purpose and where no suitable candidates are available at the Employment Exchange, the recruitment shall be made after inviting applications through advertisement.

(2-E) Educational qualifications for filling up the posts shall be such as are prescribed for regular employees under the State Government on corresponding posts. Where there are no corresponding posts, the qualifications shall be prescribed by the appointing authority.

(2-F) Where candidates possessing requisite qualifications in respect of training are not avalable, untrained candidate may be recruited subject to the condition that they qualify themselves within a specificd period after availing of the apportunity for training to be provided by the establishment concerned in this respect.

(3) Promotion shall be made on the basis of seniority **cum**-merit.

8. **Age, Physical fitness of new entrants and age of superannuation.**—In the matter of age, and physical fitness for recruitment and superannuation, the same rules and policies shall apply to the new entrants into the service as are applicable to the Government servants of comparable categories in the regular employment.

9. **Seniority list.**—Seniority lists of each category shall be maintained in each unit or on a state-wide basis, as may be decided by Government, for purposes of promotion as well as retrenchment. When an employee is transferred from one unit to another in the interest of Government work his continuity of service in the parent unit shall be taken into account in the matter of promotion or retrenchment, as the case may be.

10. **Service records.**—proper service records of employees permanent and Temporary shall be kept duly verified at unit levels in the proforma as for the non-gazetted staff of the Government.

11. **Discharge certificate.**—In case an employee leaves the service as a result of retrenchment or otherwise, he may be given, on demand a certificate, in he following form by the appointing authority, namely:—

(1) Name

(2) Father's/Husband's Name

(3) Identification mark (if any)

(4) Total Service from ..... to.....

(5) Appoinment held when leaving

(6) Rate of scale of pay (if any)

(7) Reason for quitting service.

Employees signature or thamb impression.

Seal and Designation of Appointing Authority.

12. **Conduct.**—The provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 1965 shall apply to the members of the service. Provided that "misconduct" shall also include the following acts and omissions on the part of employee, viz.:—

(a) Theft, frand of dishonesty in connection with the Government business or property.

(b) Wilful insubordination or disobedience whether alone or in combination with others to any lawful or reasonable order of superior.

(c) Wilful damage to or loss of Government goods or property.

(d) Taking or giving bribes or illegal gratification.

(e) Habitual absence without leave or absence without leave for more than ten days.

(f) Habitual late attendance.

(g) Habitual breach of any law applicable to the establishment of department.

(h) Riotous or disorderly behaviour during working hours at the establishment or department or any act sub-versive of discipline.

(i) Habitual negligence or neglect of work including cleeping during working hours.

(j) freguent repetition of any act or omission.

(k) Wilful slowing down in the performance of works.

(l) Disclosing to any unauthorised person any information in regard to the process of the establishment or department which may come into the posseesion of the employee in the course of his work.

(m) Gambling and speclulation in the premises of the establishment of the Department.

(n) Striking work or inciting other to strike work in contravention of the provision of any law or rule having the force of law for the time being in force.

(o) Drinking or being found drunk during working hours.

(p) Action against the security of the State.

13. **Penalties.**—The following penalties may for good and sufficient reasons, be imposed on an employee namely:—

(i) Censure.

(ii) Fine not exceeding one day's emoluments at a time.

(iii) With holding of increments or promotions

(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government by negligence or breach of any law.

(v) Suspension for a period not exceeding 14 days at a time (without being entitiled to any wages).

(vi) Reduction to a lower post or grade.

(vii) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment

(viii) Dismissal from service which shall be disqualification for future employment.

14. **Procedure for imposing penalties.**—(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (vi), (vii) and (viii) or Rule 13 shall be passed except after:—

(i) the employee is informed in writing, when possible to do so, of the proposal to take action against him and of the allegations on which it is proposed to be taken:.

(ii) The employee is an soon possible given an opprotunity to explain his position in regard to the allegations made against him .

(iii) Such explanation if any, is taken into consideration :

Provided further that(1) no person shall be dismissed without the order of the Competent Authorty and provided further that (2) it shall not be necessary to do so where the Head of the Department finds it necessary to remove an employee from service on the ground of security of the state.

(2) An order in writing referred to in sub-rule (1) shall take effect immediately on delivery to the employee and in the event of refusal by the employee to accept delivery of it affixed on the notice board of the establishment on which he is borne and such affixing of the same on the notice board will be deemed to have been served on him.

15. **Appeals.**—(1) The employee may prefer an appeal against any penalty imposed on him under rule 13 above, except the penalty imposed under rue 13 clauses (i) and (ii) within one month of the imposition of the penalty to the authority immediately superior to the authority imposing the penalty. The decision of such appellate authority shall be final.

(2) An appeal under sub-rule (1) may be submitted directly to the appellate authority.

16. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.:

17. **Relaxation.**—Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Government to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable ;

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these Rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK BAJPEYI, Spl. Secy.

No.	Name of post included in the service	No. of posts	Classification	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Government Engineering College, Raipur.—				
1	Water man	3	Class IV	Principal
2	Farrash	1	Do.	Do.
3	Mali	2	Do.	Do.
4	Chowkidar	19	Do.	Do.
5	Hostel Servant	15	Do.	Do.
6	Sweeper	9	Do.	Do.
7	Mazdoor	25	Do.	Do.
8	Garden Mazdoor	9	Do.	Do.
9	Pump Attendant	2	Do.	Do.
10	Marker of sport	1	Do.	Do.
11	Hammal	4	Do.	Do.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	**Govt. Engg. College, Jabalpur.—**			
1	Chowridar	30	Class IVth	.. Principal
2	Belt man	1	Do.	Do.
3	Hammer Man	1	Do.	Do.
4	Grounds Man	1	Do.	Do.
5	Water Man	2	Do.	Do.
6	Mazdoor	59	Do.	Do.
7	Ward Boy	1	Do.	Do.
8	Garden Mazdoor	7	Do.	Do.
9	Bus Cleaner	1	Do.	Do.
10	Hammal	4	Do	Do.
11	Hostel Servant	19	Do.	Do.
12	Sweeper	22	Do.	Do.
13	Lady Sweeper	5	Do.	Do.
3.	**Government Engineering College., Ujjain.—**			
1	Menials	2	Class IVth	.. Principal
4.	**Government Engineering College, Bilaspur.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	.. Principal
2	Hammal	6	Do.	Do.
5.	**Government Engineering College, Rewa.—**			
1	Hammal	13	Class IVth	.. Principal
2	Sweeper	2	Do.	Do.
3	Hostel Servant	6	Do.	Do.
4	Chowkidar	2	Do.	Do.
5	Mali	1	Do.	Do.
1.	**Government Polytechnic, !Durg.—**			
1	Pump Attendant	1	Class IVth	... Principal
2	Chowkidar	4	Do.	Do.
3	Sweeper	2	Do.	Do.
4	Helpe	2	Do.	Do.
5	Workshop Coolie	3	Do.	Do.
6	Mali	1	Do.	Do.
7	Water Man	1	Do.	Do.
8	Hammal	1	Do.	Do.
2.	**Government Polytechnic, Shahdol.—**			
1	Sweeper	1	Class IVth	... Principal
2	Chowkidar	4	Do.	Do.
3	Mali	2	Do.	Do.
4	Mazdoor	9	Do.	Do.
3.	**Govt. Women Polytechnic, Bhopal—**			
1	Sweeper	2	Class IVth	.. Principal
2	Hostel Baroni	1	Do.	Do.
3	Hostel Servant	1	Do.	Do.
4	Hostel Cook	1	Do.	Do.
5	Chowkidar	2	Do.	Do.
6	Unskilled Labour	1	Do.	Do.
4.	**Government Polytechnic, Nowgon—**			
1	Chowkidar	3	Class IVth	... Principal
2	Mali	1	Do.	Do.
3	Sweeper	2	Do.	Do.
4	Hostel Servant	5	Do.	Do.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Government Polytechnic, Bhopal.—				
1	Mazdoor	17	Class IVth ..	Principal
6. Government Polytechnic, Raigarh.—				
1	Chowkidar	3	Class IVth ..	Principal
2	Water man	2	Do.	Do.
3	Mali	1	Do.	Do.
4	Sweeper	2	Do.	Do.
5	Garden Mazdoor	1	Do.	Do.
6	Grounds Man	1	Do.	Do.
7	Hostel Servant	2	Do.	Do.
8	Workshop Mazdoor	14	Do.	Do.
7. Government Polytechnic, Khandwa.—				
1	Sweeper	4	Class IVth ...	Principal
2	Chowkidar	2	Do.	Do.
3	Coolie	3	Do.	Do.
4	Mali	1	Do.	Do.
5	Water man	1	Do.	Do.
6	Hostel Servant	1	Do.	Do.
8. Government Polytechnic, Ujjain.—				
1	Hostel Servant	2	Class IVth	Principal
2	Workshop Mazdoor	5	Do.	Do.
3	Sweeper	1	Do.	Do.
4	Chowkidar	3	Do.	Do.
9. Government Polytechnic, Jabalpur.—				
1	Farrash	1	Class IVth ...	Principal
2	Mali	1	Do.	Do.
3	Grounds Man	1	Do.	Do.
4	Water man	2	Do.	Do.
5	Sweeper	3	Do.	Do.
6	Workshop Mazdoor	5	Do.	Do.
7	Chowkidar	3	Do.	Do.
8	Hostel Servant	2	Do.	Do.
10. Government Polytechnic, Chhindwara.—				
1	Chowkidar	4	Class IVth ...	Principal
2	Mali	1	Do.	Do.
3	Sweeper	2	Do.	Do.
4	Water man	1	Do.	Do.
11. Government Kala Niketan, Jabalpur,—				
1	Workshop Mazdoor	20	Class IVth ..	Principal
2	Chowkidar	4	Do.	Do.
3	Sweeper	2	Do.	Do.
4	Cleaner	1	Do.	Do.
5	Garden Mazdoor	2	Do.	Do
6	Water man	1	Do.	Do

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	**Government Polytechnic, Jaora,—**			
1	Workshop Attendant	2	Class IVth	.. Principal.
2	Hostel Attendant	1	Do.	Do.
3	Sweeper	1	Do.	Do
13.	**Government Polytechnic, Gwalior.—**			
1	Chowkidar	3	Class IVth	.. Principal.
2	Hostel Servant	4	Do.	Do.
3	Mali	1	Do.	Do.
4	Sweeper	1	Do.	Do.
5	Workshop Mazdoor	2	Do.	Do.
1.	**Government Secondary Technical School, Raigarh.—**			
1	Sweeper	1	Class VIth	.. Superintendent.
2	Chowkidar	2	Do.	Do.
3	Mazdoor	1	Do.	Do.
2.	**Government Secondary Technical School, Tikamgarh.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	... Superintendent.
2	Sweeper	1	Do.	Do.
3	Cook	1	Do.	Do.
4	Baro i	1	Do.	Do.
3.	**Government Secondary Tecnhical School, Jabalpur.—**			
1	Workshop Mazdoor	3	Class IVth	... Superintendent.
2	Chowkidar	1	Do.	Do.
3	Cook	2	Do.	Do.
4	Jamadar	2	Do.	Do.
4.	**Government Secondary Technical School, Chhindwara.—**			
1	Workshop Mazdoor	1	Class IVth	... Superintendent.
5.	**Government Secondary Technical School, Khairagarh.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	... Superintendent.
2	Cook	1	Do.	Do.
6.	**Government Technical School, Satna.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	... Superintendent.
2	Sweeper	2	Do.	Do.
3	Workshop Mazdoor	1	Do.	Do.
7.	**Government Secondary Technical School, Shahdol.—**			
1	Chowkidar	2	Class IVth	... Superintendent.
2	Workshop Mazdoor	1	Do.	Do.
8.	**Government Secondary Technical School, Panna.—**			
1	Workshop Coolie	2	Class IVth	... Superintendent.
2	Chowkidar	2	Do.	Do.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Sweeper	1	Class IVth	... Superintendent.
4	Assistant Cook	2	Do.	Do.
9.	**Govt. Secondary Technical School, Khandwa.—**			
1	Sweeper	2	Class IVth	... Superintendent.
2	Chowkidar	2	Do.	Do.
3	Workshop Coolie	1	Do.	Do.
10.	**Govt. Secondary Technical School, Raipur.—**			
1	Jamadar	1	Class IVth	... Superintendent.
2	Chowkidar	2	Do.	Do.
3	Workshop Mazdoor	2	Do.	Do.
4	Baroni	1	Do.	Do.
11.	**Govt. Secondary Technical School, Gwalior.—**			
1	Peon	2	Class IVth	... Superintendent.
2	Cook	1	Do.	Do.
3	Workshop Mazdoor	2	Do.	Do.
4	Sweeper	1	Do.	Do.
1.	**Pre-Vocational Training Centre, Betul.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	... Principal.
2	Sweeper	1	Do.	Do.
2.	**Pre-Vocational Training Centre, Jashpurnagar.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	... Principal.
3.	**Pre-Vocational Training Centre, Sehore.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	... Principal.
4.	**Pre-Vocational Training Centre, Alirajpur.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	... Principal.
5.	**Pre-Vocational Training Centre, Panagar.—**			
1	Chowkidar	1	Class IVth	... Principal.
	Govt. Fine Arts Institution, Gwalior—			
1	Mali	1	Class IVth	.. Principal.
2	Male Servant	1	Do.	Do.
3	Chowkidar	1	Do.	Do.
3	Sweeper	1	Do.	Do.
	Board of Technical Education, Bhopal—			
1	Sweeper	1	Class IVth	.. Director.
2	Farrash	3	Do.	Do.
3	Chowkidar	2	Do.	Do.
4	Waterman	1	Do.	Do.
	Directorate of Technical Education, Bhopal—			
1	Waterman	1	Class IVth	.. Director.

गृह (पुलिस) विभाग

भोपाल, दिनांक २५ अप्रैल १९७९

क्र. २(अ)-१५१-७९-दो-ब-(२).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गृह (पुलिस) विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम, १९७७ में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में,—

(१) नियम १ के उपनियम (१) में शब्द "कार्यभारित तथा" का लोप किया जाय.

(२) नियम २ में,—

(एक) खण्ड (ग) में शब्द "कार्यभारित कर्मचारी या" का लोप किया जाय.

(दो) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किये जाय, अर्थात्:—

"(घ-एक) 'अनुसूचित जाति का सदस्य' से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह का, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;"

"(घ-दो) 'अनुसूचित जनजाति का सदस्य' से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर समूह का, जो कि भारत के संविधान अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;"

(तीन) खण्ड (ङ) में शब्द "कार्यभारित स्थापना के पदों या" का लोप किया जाय.

(चार) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात:—

"(च) 'सेवा' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश गृह (पुलिस) विभाग आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवाएं;"

(पांच) खण्ड (ज) का लोप किया जाय.

(३) नियम ४ के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"४. **सेवा का गठन**.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(१) वे व्यक्ति जो १ जनवरी, १९७४ को—

(क) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे थे और जिन्होंने इस रूप में कम से कम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये पद धारण करते थे; और

(ग) राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों के लिये विहित अधिवार्षिकी आयु प्राप्त न कर चुका हो;

(२) वे व्यक्ति, जो पांच वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर,—

(क) १ जनवरी, १९७३ के पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व,

(ख) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार.

(४) नियम ६ के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किये जाय, अर्थात्:—

"६ **प्रवर्गीकरण**.—(१) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित दो प्रवर्गों में विभाजित किया जायगा, अर्थात् :—

(एक) स्थायी ; और

(दो) अस्थायी.

(२) कर्मचारी,—

(क) जिन्होंने १ जनवरी १९७४ को कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी;

(ख) जो उक्त तारीख के पूर्व नियुक्त किये गये थे किन्तु जिन्होंने उक्त तारीख को पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की थी;

(ग) जो १ जनवरी १९७४ के पश्चात् नियुक्त किये गये थे,

(क) की स्थिति में, १ जनवरी १९७४ से तथा (ख) और (ग) की स्थिति में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने की तारीख से, आकस्मिकता से वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारी प्रास्थिति के पात्र होंगे."

(५) नियम ७ के उपनियम (२) में शब्द "कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति" के स्थान पर शब्द "सेवा में नियुक्ति" स्थापित किये जाय.

(६) नियम ७ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः-स्थापित किये जाय, अर्थात्:—

"७(क) **समिति का गठन**.—प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की जायगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) एक राजपत्रित अधिकारी जो ..... राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया, ... सभापति,

(ख) संबंधित जिले का जनजाति कल्याण अधिकारी या जिला संगठक जनजाति कल्याण .... सदस्य,

(ग) संबंधित जिले का रोजगार अधिकारी .... सदस्य,

७(ख) **नियुक्ति**.—सेवा में के प्रत्येक पद पर नियुक्ति नियम ७-क के अधीन गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी द्वारा नियुक्त की जायगी.

७(ग) **व्यावृत्ति**.—इन नियमों में की कोई भी बात ऐसे आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के सदस्यों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को एवं अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों को उपलब्ध है.

७(घ) **समिति द्वारा प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया**.—सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय द्वारा प्रदाय की गई अभ्यार्थियों की सूची में से की जायगी और जहां रोजगार कार्यालय में उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहां विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमन्त्रित करके भर्ती की जायगी.

७(ङ) **शैक्षिक अर्हता**.—(१) सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के मामले में सेवा में नये प्रवेशकों के लिये वही नियम लागू होंगे जो कि नियमित नियोजन में के समान प्रवर्गों के शासकीय सेवकों को लागू होते हैं और जहां कोई समान प्रवर्ग न हो वहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अर्हतायें विहित की जायेगी.

(२) जहां अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहां अप्रशिक्षित अभ्यार्थी इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सेवा में भर्ती किये जा सकेंगे कि वे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के अवसर का लाभ उठाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर स्वयं को अर्ह बना लेंगे."

(७) नियम १२ के उपखंड (ढ़) में शब्द "जुआ खेलना" के पश्चात् शब्द "सट्टा खेलना" अन्तः स्थापित किये जाय.

(८) नियम १५ को उसके उप नियम (१) के रूप में क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुनः क्रमांकित किये गये उप नियम (१) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(२) उप नियम (१) के अधीन अपील अपीली प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत की जायगी".

No. 2(a)-151-79-II-B(ii).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Home (Police) Department workcharged and Contingency paid Employees Recruitment and Conditions of Service Rules, 1977, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 1, in sub-rule (1), the words "Workcharged and" shall be omitted,

(2) in rule 2,—

(i) in clause (c), the words "a workcharged Employee or" shall be omitted.

(ii) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(d-i) 'member of Scheduled Caste' means a member of any caste, race or tribe or part of or group within a caste. race or tribe specified as Scheduled Caste with

respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India ;"

"(d-ii) 'member of Scheduled Trible' means a member of any tribe, tribal community or part of or group within tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India ;"

(iii) in clause (e) the words "on the workcharged establishment or posts" shall be omitted,

(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

"(f) 'Service' means the Madhya Pradesh Home (Police) Department Contingency paid Employees Services;"

(v) clause (h) shall be omitted,

(3) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Constitution of the Service.— The Service shall consist of the following persons, namely:—

(1) Persons who on the 1st January, 1974—

(a) were working as contingency paid employees and had completed at least one year's service as such;

(b) were holding posts specified in the Schedule; and

(c) have not attained the age of Superannuation prescribed for regular employees under the State Government.

(2) Persons recruited to the Service.—

(a) after 1st January, 1973, but before the commencement of these rules;

(b) after the commencement of these rules, according to the provisions of these rules ;

on completion of five years of Service.".

(4) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Categorization.—(1) Contingency paid employees shall for the purposes of these rules be divided into the following two categories, namely :—

(i) Permanent; and

(ii) Temporary.

(2) The employee who—

(a) had completed not less than fifteen years of service on the 1st January, 1974 ;

(b) were appointed prior to the said date but had not completed fifteen years of service on the said date ;

(c) were appointed after the 1st January, 1974; shall be, in case of (a) with effect from the 1st January, 1974 and in case of (b) and (c) with effect from the date of completion of fifteen years service, eligible for the status of permanent contingency pair employee";

(5) in rule 7, in sub-rule (2) for the words "Appointment of the workcharged and contingency paid employees" the words "Appointment to the Service" shall be substituted.